

प्रेषक,

निदेशक,  
लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड  
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला  
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 9381  
विषय:-

/ अं०पै०यो० / नि०ले०ह० / 2012-13, दिनांक 14, अगस्त, 2012।  
नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिक जिनको साफ्ट डेटा के आधार पर PRAN आबंटित किये गये हैं, के फार्म सी०आर०ए० फ़ैसिलिटेशन सेंटर में जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया दिनांक 24 व 25 जुलाई 2012 को सी०आर०ए० के साथ आयोजित कार्यशाला के कम में निर्गत कार्यवृत्त सं०- 9223 / नि०ले०ह० / अं०पै०यो० / 2012 दिनांक 31 / 07 / 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 643 / XXVII(7) अं०पै०यो० / 2010 दिनांक 11-08-2010 के अनुपालन में अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित जिन कार्मिकों को पूर्व में पी०पी०ए०एन०(सी०पी०एस०एन०) के आधार पर साफ्ट डेटा के माध्यम से प्रान आबंटित हुए हैं के PRAN "फार्म Annexure S1" को सी०आर०ए० के फ़ैसिलिटेशन सेंटर में जमा करने हेतु 30 सितम्बर 2012 तक का समय निर्धारित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में इस निदेशालय के पत्रांक- 1926 / अं०पै०यो० / 2010-11, दिनांक 25, नवम्बर, 2010, पत्रांक- 2242 / अं०पै०यो० / 2010-11, दिनांक 15 जनवरी 2011, पत्रांक- 1271 / अं०पै०यो० / 2010-11, दिनांक 10, अक्टूबर, 2011, पत्रांक- 1666 / अं०पै०यो० / 2010-11, दिनांक 29, अक्टूबर, 2011 व पत्रांक- 7386 / अं०पै०यो० / 2012-13, दिनांक 18, अप्रैल, 2012 के द्वारा भी अनुरोध किया गया है। परन्तु बार- बार अनुरोध करने के बाद भी सी०आर०ए० सर्वर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11-08 / 2012 तक 18654 कार्मिक ऐसे हैं, जिनके फार्म अभी तक सी०आर०ए० को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। शासन स्तर पर ऐसी स्थिति को बहुत गम्भीरता से लिया जा रहा है। इस कारण कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही है, और योजना से सम्बन्धित कई सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं।

दिनांक 24 व 25 जुलाई 2012 को सी०आर०ए० के साथ आयोजित कार्यशाला में निदेशालय एवं सी०आर०ए० द्वारा उक्त सूची समस्त कोषागार अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बन्ध में कोषागारों व सी०आर०ए० के डाटा से इस प्रकार के कार्मिकों के विस्तृत विवरण (सी०डी० पर एक्सेल फ़ाइल में कोषागारवार शीट तैयार की गयी है) की सूची संलग्न प्रेषित करते हुए पुनः अनुरोध है, कि जिन कार्मिकों को पूर्व में पी०पी०ए०एन०(सी०पी०एस०एन०) के आधार पर साफ्ट डेटा के माध्यम से प्रान आबंटित हुआ है, अर्थात् जिनका लिगेसी डाटा सी०आर०ए० को भेजा जाना है, उनके प्रान फार्म Annexure S1, में पी०पी०ए०एन०(सी०पी०एस०एन०) को (16 digit format) में व सी०आर०ए० द्वारा आबंटित PRAN अंकित कर यथाशीघ्र सी०आर०ए० एफ०सी० में जमा करवाना सुनिश्चित करें। आबंटित प्रान एवं पी०पी०ए०एन०(सी०पी०एस०एन०) की विस्तृत सूची सी०आर०ए० द्वारा आपको उपलब्ध कराये गये। I - PIN (login -id) से सन्दर्भित web site से भी डाउनलोड की जा सकती।

अतः ऐसे कार्मिकों के प्रान फार्म परीक्षणोपरान्त सी०आर०ए०-एफ०सी० में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। जिससे शासन को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जा सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
(पी०के० गोयल)  
निदेशक,

संख्या-यथोक्त / अं०पै०यो० / नि०ले०ह० / 2012-13, तददिनांक  
प्रतिलिपि- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।

(पी०के० गोयल)  
निदेशक,